असाधारण महा सभा की सूचना
Notice for Extraordinary General Meeting

16 दिसंबर 2013, मंगलूर

16TH DECEMBER 2013, MANGALORE

कार्पोरेशन बैंक Corporation Bank

A Premier Public Sector Bank

कार्पोरेशन बैंक
प्रधान कार्यालय: मंगलादेवी मंदिर मार्ग,
मंगलूर – 575 001



Corporation Bank
Head Office : Mangala Devi Temple Road,
Mangalore – 575 001

विषय सूची
CONTENTS

	पृष्ठ संख्या Page No.
सूचना	1
NOTICE	2
टिप्पणियां	3
NOTES	4
व्याख्यात्मक कथन	7
EXPLANATORY STATEMENT	8
उपस्थिति पत्रक – सह–प्रवेश पत्र	17
ATTENDANCE SLIP CUM ENTRY PASS	
प्रॉक्सी फार्म	19
PROXY FORM	20

कार्पोरेशन बैंक

प्रधान कार्यालय – मंगलादेवी मंदिर मार्ग, मंगलूर – 575 001
द.क. ज़िला, कर्नाटक राज्य, भारत

सूचना

कार्पोरेशन बैंक (शेयर और बैठक) विनियम 1998 के विनियम 57 के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कार्पोरेशन बैंक के शेयरधारकों की असाधारण महासभा सोमवार, 16 दिसंबर, 2013 को पूर्वाह्न 11.00 बजे सहस्राब्दि भवन, कार्पोरेशन बैंक, प्रधान कार्यालय, मंगलादेवी मंदिर मार्ग, पांडेश्वर, मंगलूर – 575 001 में संपन्न होगी जिसमें निम्नलिखित मदों पर विचार विमर्श किया जाएगा:

मद संख्या 1

निम्नलिखित पर एक विशेष संकल्प के रूप में विचार करना और उचित समझे जाने पर आशोधन सहित या रहित पारित करना:

''**संकल्प किया जाता है** कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अभिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 3(2 बी), राट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1980 के खण्ड 20, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड और नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ किए गए इक्विटी सूचीकरण करार के खण्ड 23 (उसमें किसी आशोधन या पुनरधिनियमन सहित) के प्रावधानों के अनुसरण में और कार्पोरेशन बैंक (शेयर और बैठक) विनियम, 1998 के विनियम 4ए के प्रावधानों तथा भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड या संबंधित अन्य किसी प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्धारित अन्य नियम/अधिसूचनाएं/परिपत्र/मार्गनिर्देश, यदि कोई है तो, के अनुसार लागू हद तक और कार्पोरेशन बैंक (**बैंक**) के निदेशक मंडल (यत्पश्चात् ''**बोर्ड**'' कहा गया है, जिस शब्द में बोर्ड द्वारा इस विनियम द्वारा प्रदत्त अधिकारों सहित उसके अधिकारों का प्रयोग करने हेतु गठित/गठित की जानेवाली समिति (याँ) शामिल समझा जाएगा, अनुमोदन, सहमति, अनुमति और मंजूरी के अधीन, प्रति इक्विटी शेयर ₹296.75 (रुपए दो सौ छियानवे और पैसे पचहत्तर मात्र) के प्रीमियम पर प्रत्येक ₹10/- (रुपए दस मात्र) के अर्थात् ₹306.75 (रुपए तीन सौ छह और पैसे पचहत्तर मात्र) **की इश्यू कीमत पर बैंक के 1,46,69,926 ईक्विटी शेयर जिसकी कुल राशि** ₹449,99,99,800.50 करोड़ (रुपए चार सौ उनचास करोड़ निन्यानवे लाख निन्यानवे हज़ार आठ सौ और पैसे पचास मात्र) (प्रीमियम की राशि सहित) है, समय-समय पर संशोधित भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूँजी निर्गम और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम 2009, **(''सेबी (आईसीडीआर) विनियम'')** के अध्याय VII के अनुसार भारत सरकार (अर्थात् भारत के राष्ट्रपति) को अधिमान शेयर के रूप में **सृजन करने, पेशकश करने, जारी करने और आबंटित करने के** लिए **तथा** समय-समय पर यथा संशोधित **सेबी (आईसीडीआर) विनियमों** के अध्याय VIII के अनुसार अर्हताप्राप्त संस्थागत क्रेताओं (क्यूआईबी) को अर्हताप्राप्त संस्थाओं में स्थानन (क्यूआईपी) के आधार पर समय-समय पर एक या अधिक किस्तों में ₹1000 करोड़ (रुपए एक हज़ार करोड़ मात्र) (प्रीमियम राशि सहित) की **सेबी (आईसीडीआर) विनियमों** के अनुसार परिकलित कीमत (इश्यू मूल्य में बट्टा, यदि कोई सहित) पर प्रत्येक ₹10/- (रुपए दस) के बैंक के ऐसी संख्या में ईक्विटी शेयरों की इस प्रकार सृजन करने, पेशकश करने, जारी करने और आबंटित करने हेतु कि किसी भी समय केन्द्र सरकार बैंक के ईक्विटी पूँजी में कम-से-कम 51% धारित करें, बैंक के शेयधारकों की सहमति, बैंक के निदेशक मंडल को एतद्द्वारा दी जाती है ।''

''**यह भी संकल्प किया जाता है कि सेबी (आईसीडीआर) विनियमों** के अनुसार ईक्विटी शेयरों के मूल्य के निर्धारण के लिए नियत तारीख 15 नवंबर, 2013 होगी ।''

''**यह भी संकल्प किया जाता है कि** क्यूआईपी इश्यू के मामले में प्रतिभूतियों के मूल्य निर्धारण की तारीख **सेबी (आईसीडीआर) विनियमों** के अनुसार होगी।''

''**यह भी संकल्प किया जाता है कि** बोर्ड को अपेक्षितानुसार प्रस्ताव में आशोधन करने का अधिकार होगा या भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक/सेबी/स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ बैंक के शेयर सूचिबद्ध हैं, या उसको जारी करने, आबंटित करने तथा सूचिबद्ध करने के अनुमोदन, सहमति, अनुमति तथा मंजूरी देने के समय ऐसे अन्य उपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा लागू किए गए आशोधनों को स्वीकार करने का अधिकार होगा।

''**यह भी संकल्प किया जाता है कि** क्यूआईपी के अंतर्गत एनआरआई, एफआईआई को नए ईक्विटी शेयरों को जारी करना और आबंटित करना तथा/अथवा अन्य पात्र विदेशी निवेश, यथा लागू विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम, 1999 के अंतर्गत भा.रि.बैं. के अनुमोदन के अधीन, लेकिन उक्त अधिनियम में निर्दिष्ट समग्र सीमाओं के भीतर होंगे।''

Corporation Bank

HEAD OFFICE: MANGALADEVI TEMPLE ROAD, MANGALORE – 575 001
D.K. DISTRICT, KARNATAKA STATE, INDIA

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN pursuant to Regulation 57 of the Corporation Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1998 that an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of CORPORATION BANK will be held on Monday, the 16th December, 2013 at 11.00 a.m. at Millennium Building, Corporation Bank, Head Office, Mangala Devi Temple Road, Pandeshwar, Mangalore 575 001, to transact the following business:

Item No.1

To consider and if thought fit, to pass with or without modification the following as a Special Resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to provisions of Section 3(2B) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, Clause 20 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980, Clause 23 and other related provisions of the Listing Agreement for Equity entered into with the Bombay Stock Exchange Limited and the National Stock Exchange of India Limited (including any amendment thereto or re-enactment thereof) and in accordance with the provisions of Regulation 4A of the Corporation Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1998 and the other Rules/Notifications/Circulars/Regulations/Guidelines if any prescribed by the Government of India, Reserve Bank of India, Securities and Exchange Board of India or any other relevant authority, from time to time to the extent applicable and subject to approvals, consents, permissions and sanctions, which may be agreed to by the Board of Directors of the Corporation Bank (the **Bank)**, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter referred to as the **"Board",** which term shall be deemed to include any Committee(s) constituted/to be constituted by the Board to exercise its powers including the powers conferred by this Regulation) to create, offer, issue and allot 1,46,69,926 Equity Shares of the Bank of ₹10/- (Rupees Ten) each for cash at a premium of ₹296.75 per equity share i.e. at an issue price of ₹306.75 as determined by the Board in accordance with Chapter VII of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009, as amended from time to time (the **"SEBI (ICDR) Regulations")**, aggregating to ₹449,99,99,800.50 (Rupees Four hundred forty nine crore ninety nine lakh ninety nine thousand eight hundred and paise fifty only) (inclusive of premium amount) on Preferential basis to the promoters of the Bank i.e. the Government of India (President of India) **AND** to create offer, issue and allot such number of Equity Shares of the Bank of ₹10/- (Rupees Ten) each at a price (subject to discount if any in issue price) to be calculated in terms of the **SEBI (ICDR) Regulations** aggregating up to ₹1000 crore (Rupees One thousand crore only) (inclusive of premium amount) from time to time in one or more tranches on Qualified Institutions Placement (QIP) basis to the Qualified Institutional Buyers (QIBs), in terms of the Chapter VIII of the **SEBI (ICDR) Regulations** as amended from time to time, in such a way that Central Government at any time holds not less than 51% of the equity capital of the Bank".

"RESOLVED FURTHER THAT in case of Preferential issue, the Relevant Date for the determination of the price of the Equity Shares shall be 15th November, 2013 in accordance with the **SEBI (ICDR) Regulations."**

"RESOLVED FURTHER THAT in case of QIP issue the relevant date for the determination of the price of the securities shall be in accordance with the **SEBI (ICDR) Regulations."**

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI/ RBI / SEBI/ Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board."

"**RESOLVED FURTHER THAT** the issue and allotment of new equity shares to NRIs, FIIs and/or other eligible foreign investments under QIP be subject to the approval of the RBI under the Foreign Exchange Management Act, 1999 as may be applicable but within the overall limits set forth under the Act."

''**यह भी संकल्प किया जाता है कि** इस संकल्प के अनुसरण में अधिमान आधार पर और क्यूआईपी द्वारा जारी और आबंटित किए जानेवाले नए ईक्विटी शेयर डीमैट रूप में होंगे और अधिमान आधार पर ऐसे आबंटित ईक्विटी शेयर सेबी (आईसीडीआर) विनियम के अध्याय VII के अंतर्गत अपेक्षित अनुसार निश्चित अवरुद्धता अवधि (लॉक इन) अपेक्षाओं के अधीन होंगे। अधिमान आधार पर और क्यूआईपी आधार पर ऐसे आबंटित ईक्विटी शेयर सभी दृष्टियों से बैंक के वर्तमान शेयरों के समान होंगे (लाभांश सहित) और उन स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध किए जाएंगे जहाँ बैंक के ईक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं।''

''**यह भी संकल्प किया जाता है कि** क्यूआईपी इश्यू के संबंध में, बोर्ड को, ऐसे मूल्य पर (इश्यू मूल्य पर बट्टा, यदि कोई हो, तो उसे सहित) जो सेबी (आईसीडीआर) विनियमों के संबंधित प्रावधानों के अनुसार निर्धारित मूल्य से कम न हो, क्या निवेशक बैंक के वर्तमान सदस्य हैं या नहीं, इसका लिहाज़ किए बिना सेबी (आईसीडीआर) विनियमों, अन्य विनियमों तथा अन्य कोई या सभी लागू विधियों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुसार अपने पूर्ण विवेक पर बैंक द्वारा तय की गई ऐसी शर्तों एवं निबंधनों पर ऐसे तरीके से जहाँ आवश्यक हो, मर्चेंट बैंकर या अग्रणी प्रबंधकों तथा/अथवा हामीदारों तथा/अथवा सलाहकारों से परामर्श करके या अन्यथा ऐसा मूल्य या ऐसे मूल्य निर्धारित करने का प्राधिकार होगा।''

''**यह भी संकल्प किया जाता है कि** अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन के मामले में सेबी (आईसीडीआर) विनियम के अध्याय VIII के अनुसरण में, ईक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियों का आबंटन केवल सेबी (आईसीडीआर) विनियम के विनियम 2(1)(ज़ेडडी) के अर्थ के दायरे में आने वाले अर्हताप्राप्त संस्थागत क्रेताओं (क्यूआईबी) को, उसमें यदि किसी को वर्जित किया हो तो, उसे ध्यान में रखते हुए किया जाएगा और ऐसे शेयर पूर्णतः प्रदत्त होंगे और ऐसे शेयरों का आबंटन इस संकल्प की तारीख से बारह माह के भीतर पूरा किया जाएगा।''

''**यह भी संकल्प किया जाता है कि** ऐसे शेयर/प्रतिभूतियाँ जो अभिदत्त नहीं होती हैं, उन्हें अपने पूर्ण विवेक पर ऐसे तरीके में, जो कि बोर्ड उचित समझे और विधि द्वारा अनुज्ञेय हो, बोर्ड द्वारा निपटाया जाएगा।''

''**यह भी संकल्प किया जाता है कि** बैंक के निदेशक मंडल को ऐसी समस्त कार्रवाई, कार्य, मामले करने और पूर्वोक्त ईक्विटी शेयरों के ऑफर, इश्यू और आबंटन के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी प्रश्न या संदेह को, जैसा कि वे अपने पूर्ण विवेक में आवश्यक समझें, निपटाने के लिए एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है।''

''**यह भी संकल्प किया जाता है कि** बोर्ड पूर्वोक्त संकल्प को प्रभावी करने के लिए बैंक के निदेशकों की समिति को अपने सभी या किसी अधिकार को प्रत्यायोजित करने के लिए एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है।''

टिप्पणियाँ

1. **व्याख्यात्मक कथन**

 बैठक की कार्यवाही के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों का व्याख्यात्मक कथन इसके साथ संलग्न है।

2. **मताधिकार**

 बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अभिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 3 की उप-धारा (2ई) के अनुसार केन्द्र सरकार के अलावा अनुरूपी नए बैंक का कोई भी शेयरधारक उसके द्वारा धारित शेयरों के संबंध में बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मताधिकार के दस प्रतिशत से अधिक मताधिकार का प्रयोग करने हेतु पात्र नहीं होगा।

 उपरोक्त के अधीन, शेयरधारक के रूप में पंजीकृत प्रत्येक शेयरधारक को हस्त प्रदर्शन पर एक मत होगा और मतदान के मामले में केन्द्र सरकार के अलावा कुल मताधिकार के अधिकतम 10% के अधीन उसके द्वारा धारित हरेक शेयर हेतु एक मत होगा।

 कार्पोरेशन बैंक (शेयर और बैठक) विनियम, 1998 के विनियम 10 के अनुसार यदि कोई शेयर दो या अधिक व्यक्तियों के नामों में है, तो जहाँ तक मतदान का सवाल है, रजिस्टर में पहले नामित व्यक्ति उसके एकमात्र शेयरधारक माने जाएंगे।

3. **प्रॉक्सी की नियुक्ति**

 जिन शेयर धारकों को बैठक में भाग लेने का अधिकार हैं, उन्हें अपने स्थान पर बैठक में भाग लेने के लिए एक प्रॉक्सी नियुक्त करने का अधिकार है तथा ऐसे प्रॉक्सी का कार्पोरेशन बैंक का शेयर धारक होना आवश्यक नहीं है।

 तथापि, इस प्रकार नियुक्त प्रॉक्सी को बैठक में बोलने का कोई अधिकार नहीं होगा।

 प्रॉक्सी के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति नहीं की जाएगी जो कार्पोरेशन बैंक का एक अधिकारी या कर्मचारी हो।

 विनियम 70(vi) के अनुसार प्रॉक्सी लिखत देनेवाला, लिखत से संबंधित बैठक में व्यक्तिगत रूप से वोट देने के लिए पात्र नहीं होगा।

 प्रॉक्सी की सूचना प्रभावी होने हेतु प्रॉक्सी फार्म बैठक प्रारंभ होने से **कम-से-कम चार दिन पहले** अर्थात **मंगलवार, 10 दिसंबर 2013 को** कार्यालय समय की समाप्ति अर्थात् **अपराह्न 5.00 बजे** से पहले बैंक के प्रधान कार्यालय, मंगलादेवी मंदिर मार्ग, मंगलूर - 575 001, कर्नाटक राज्य में प्राप्त हो जानी चाहिए ।

"RESOLVED FURTHER THAT the new Equity Shares to be issued and allotted on preferential basis and on QIP basis in pursuance of this Resolution shall be issued in dematerialized form and the equity shares so allotted on preferential basis shall be subject to lock-in requirements required under Chapter VII of the SEBI (ICDR) Regulations. The Equity shares so allotted on Preferential basis and QIP basis shall rank pari passu in all respects (including Dividend) with the existing Equity Shares of the Bank and be listed on Stock Exchanges where the Equity Shares of the Bank are listed."

"RESOLVED FURTHER THAT, as regards the QIP issue, the Board shall have the authority to decide, at such price or prices in such manner where necessary in consultation with the Merchant Banker or lead managers and/or underwriters and/or other advisors or otherwise on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, decide in terms of **SEBI (ICDR) Regulations**, other regulations and any and all other applicable laws, rules. Regulations and guidelines whether or not such investor(s) are existing members of the Bank, at a price (including discount in issue price if any) in accordance with relevant provisions of the **SEBI (ICDR) Regulations."**

"RESOLVED FURTHER THAT in case of Qualified Institutions Placement pursuant to Chapter VIII of the SEBI (ICDR) Regulations, the allotment of Equity Shares/securities shall only be made to the Qualified Institutional Buyers (QIBs) within the meaning of Regulation 2(1)(zd) of the SEBI (ICDR) Regulations with exclusion, if any, such shares shall be fully paid up and the allotment(s) of such shares shall be completed within Twelve months from the date of this Resolution".

"RESOLVED FURTHER THAT such of these shares / securities as are not subscribed may be disposed off by the Board in its absolute discretion in such manner, as the Board may deem fit and as permissible by law."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board of Directors of the Bank be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and to settle any questions or doubts that may arise in regard to the aforesaid offer, issue and allotment of Equity Shares as it may in its absolute discretion deem necessary."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board of Directors of the Bank be and is hereby authorised to delegate all or any of its powers to a committee of Directors of the Bank to give effect to the aforesaid Resolution."

NOTES

1. **Explanatory Statement**
 The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the business of the meeting is annexed hereto.

2. **Voting Rights**
 In terms of sub-section (2E) of Section 3 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of undertakings) Act, 1980, no shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

 Subject to above, each shareholder who has been registered as a shareholder shall have one vote on a show of hands and in case of poll shall have one vote for each share held by him subject to maximum of 10% of the total voting rights other than the Central Government.

 As per Regulation 10 of the Corporation Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1998, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof.

3. **APPOINTMENT OF PROXY**

 A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND THE MEETING, IS ALSO ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND INSTEAD OF HIMSELF/HERSELF, AND SUCH A PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK.

 However, the proxy so appointed will not have any right to speak at the Meeting.

 No person shall be appointed as a proxy who is an officer or an employee of Corporation Bank.

 As per the Regulations 70(vi), the grantor of an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.

 The proxy form, in order to be effective, must be received by the Bank at its Head Office at Mangala Devi Temple Road, Mangalore – 575 001, Karnataka State, **not later than FOUR DAYS** before the date of the meeting, i.e., on or before the closing hours i.e. **5.00 p.m. of Tuesday, 10th December, 2013.**

4. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

बैंक के शेयरधारक कंपनी निकाय का विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कोई व्यक्ति, असाधारण महासभा में भाग लेने और मतदान करने हेतु तब तक प्राप्त नहीं होगा, जब तक उसे विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करनेवाले संकल्प की प्रति को उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा, जिस बैठक में वह पारित किया गया हो, सत्य प्रति प्रमाणित किया गया हो, बैठक की तिथि से कम-से-कम **चार दिन** पहले अर्थात् **मंगलवार, 10 दिसंबर 2013** को कार्यसमय की समाप्ति अर्थात् **अपराह्न 5.00 बजे** तक या उससे पूर्व बैंक के प्रधान कार्यालय में कंपनी सचिव, कार्पोरेशन बैंक, निवेशक सेवा विभाग, प्र.का. मंगलूर 575 001, कर्नाटक को प्रस्तुत नहीं किया जाता है।

5. उपस्थिति पत्र-सह-प्रवेश पत्र

शेयरधारकों की सुविधा हेतु उपस्थिति पत्रक-सह-प्रवेश पत्र इस सूचना के साथ संलग्न है । शेयरधारकों/प्रॉक्सीधारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि उसे भरकर उसमें निर्धारित स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें और उक्त उपस्थिति पत्र बैठक स्थान पर सौंप दें। शेयरधारकों के प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थिति पत्र-सह-प्रवेश पत्र में यथास्थिति – ''**प्रॉक्सी**'' या ''**प्राधिकृत प्रतिनिधि**'' जैसा भी मामले हो, उल्लिखित करें ।

6. शेयरधारक कृपया ध्यान दें कि बैठक में कोई उपहार/उपहार-कूपन वितरित नहीं किया जाएगा ।

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा
कृते कार्पोरेशन बैंक

(एस. के. दाश)
कंपनी सचिव

स्थान : मंगलूर
दिनांक : 14.11.2013

4. APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE

No person shall be entitled to attend or vote at the Extraordinary General Meeting as a duly authorised representative of any body corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorised representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been deposited at the Head Office of the Bank with the Company Secretary, Corporation Bank, Investor Services Department, H.O., Mangalore – 575 001, Karnataka State not later than **FOUR DAYS** before the date of the Meeting i.e., on or before the closing hours i.e. **5.00 p.m. of Tuesday, 10th December, 2013.**

5. ATTENDANCE SLIP - CUM - ENTRY PASS

For the convenience of the shareholders, Attendance Slip-cum-Entry Pass is annexed to this notice. Shareholders/Proxy holders/Authorized Representatives are requested to fill in and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue. Proxy/Authorized Representative of shareholders should state on the Attendance Slip-cum-Entry Pass as **"Proxy"** or **"Authorized Representative"** as the case may be.

6. Shareholders may kindly note that no gift/gift coupon will be distributed at the meeting.

By order of the Board of Directors
for CORPORATION BANK

(S. K. DASH)
COMPANY SECRETARY

Place : Mangalore
Date : 14.11.2013

व्याख्यात्मक कथन

1. बैंक बैंकिंग और संबंधित क्रियाकलापों के कारोबार में है। संप्रति बैंक की प्राधिकृत पूँजी रु.3000 करोड़ (रुपए तीन हज़ार करोड़ मात्र) है। 31 मार्च, 2013 को बैंक की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूँजी ₹152.91 करोड़ है ।

2. प्रारंभिक पब्लिक ऑफर के समय आपके बैंक का पूँजी आधार ₹82.00 करोड़ था जिसमें प्रत्येक ₹10/- के 8,20,00,000 ईक्विटी शेयर थे । वर्ष 1997 में आपके बैंक ने ₹70/- के प्रीमियम पर प्रत्येक ₹10/- के 3,80,00,000 ईक्विटी शेयरों के प्रारंभिक पब्लिक ऑफर (आईपीओ) द्वारा अतिरिक्त पूँजी जुटाई थी ।

 इसके अलावा बैंक ने वर्ष 2001 में भारतीय जीवन बीमा निगम को अधिमान इश्यू द्वारा ₹186/- के प्रीमियम पर प्रत्येक ₹10/- के 2,34,40,000 इक्विटी शेयर जारी किए थे ।

 बैंक ने वर्ष 2011 में ₹648.49 के प्रीमियम पर प्रत्येक ₹10/- के 46,92,554 अतिरिक्त इक्विटी शेयर भारत सरकार को अधिमान आधार पर जारी करते हुए अतिरिक्त पूँजी जुटाई ।

 बैंक ने मार्च 2013 में ₹416.32 के प्रीमियम पर प्रत्येक ₹10/- के 47,85,137 अतिरिक्त इक्विटी शेयर भारत सरकार को अधिमान आधार पर जारी करते हुए अतिरिक्त पूँजी जुटाई ।

 वर्तमान में आपके बैंक में भारत सरकार की शेयरधारिता ₹91.48 करोड़ है जो बैंक की प्रदत्त पूँजी का 59.82% है । 30 सितंबर 2013 को जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूँजीगत निधियाँ निम्नानुसार हैं:

विवरण (यथा 30.09.2013)	**राशि ₹ करोड़ में**	**जोखिम भारित आस्ति से पूँजीगत निधियों का %**
जोखिम भारित आस्तियाँ	**130031.67**	
टियर - I पूँजी	9185.47	7.06%
टियर - II पूँजी	4539.02	3.49%
कुल पूँजीगत निधियाँ	13724.49	10.55%

3. **संकल्प का तात्पर्य बैंक को अधिमान आधार पर और निजी नियोजन आधार पर क्यूआईपी आदि द्वारा ईक्विटी शेयरों को जारी करते हुए ईक्विटी** शेयरों की पेशकश, जारी और आबंटन करने के लिए बैंक को समर्थ करना है। अधिमान इश्यू के मामले में (क) सेबी (आईसीडीआर) विनियमों के अध्याय VII के अधीन अनुमत अनुसार प्रवर्तक, भारत सरकार को जारी किया जाएगा; (ख) अधिमान इश्यू के मूल्य निर्धारण की प्रासंगिक तारीख 15 नवंबर 2013, अर्थात् असाधारण महासभा की तारीख से 30 दिन पहले है; (ग) इश्यू का मूल्य 15 नवंबर, 2013 की प्रासंगिक तारीख के आधार पर सेबी (आईसीडीआर) विनियमों के खंड 76 के अनुसार परिकलित किया जाएगा; (घ) अधिमान इश्यू के पहले और बाद में जारीकर्ता की शेयरधारिता पैटर्न ₹152.91 करोड़ की वर्तमान प्रदत्त पूँजी के साथ इस संकल्प के अनुसार कुल 450 करोड़ (प्रीमियम सहित) के बैंक द्वारा आबंटित ईक्विटी शेयरों की वास्तविक संख्या का योग होगा; (ङ) यह अधिमान इश्यू इस संकल्प की तारीख से 15 दिनों के अंदर या इस अधिमान इश्यू के अभिदान हेतु किसी सांविधिक/विनियामक अनुमोदन या भारत सरकार के अनुमोदन के 15 दिनों के अंदर पूरा किया जाएगा; तथा (च) लेखा-परीक्षकों का प्रमाणपत्र उस बोर्ड या उसकी समिति की बैठक के समक्ष रखा जाएगा जो इस संकल्प के प्राधिकार के अधीन उक्त अधिमान इश्यू को अनुमोदित करती है। इश्यू से प्राप्त आगमों से बैंक भा.रि.बैं. द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट पूँजी पर्याप्तता अपेक्षाओं से मज़बूत कर सकेगा।

4. सेबी (आईसीडीआर) विनियमों द्वारा परिभाषित अनुसार अर्हताप्राप्त संस्थागत क्रेताओं के साथ अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन करने के लिए निदेशक मंडल को अधिकार देने का भी यह संकल्प तात्पर्य रखता है। निदेशक मंडल, अपने विवेक में, बैंक के लिए निधियाँ जुटाने के लिए सेबी (आईसीडीआर) विनियमों के अध्याय VIII के अंतर्गत यथा निर्धारित इस प्रणाली को अपना सकता है।

5. प्रस्तावित इश्यू का मूल्यन:

(क) अधिमान इश्यू:

इश्यू मूल्य सेबी (आईसीडीआर) विनियमों के अध्याय VII के अनुसार निर्धारित किया जाएगा ।

परिणामी ईक्विटी शेयरों का मूल्य निर्धारित करने के लिए 'प्रासंगिक तारीख' 15 नवंबर 2013 होगी, जो इस विशेष संकल्प को 16 दिसंबर, 2013 को आयोजित की जाने वाली असाधारण महा सभा में शेयरधारकों द्वारा पारित करने की तारीख से 30 दिन पहले की तारीख है।

EXPLANATORY STATEMENT

1. The Bank is in the business of the banking and its related activities. Presently, the Authorised Capital of the Bank is ₹ 3000 crore (Rupees Three thousand crore only). The Paid-up Equity Share Capital of the Bank as on 31st March, 2013 is ₹152.91 crore.

2. At the time of the Initial Public Offer, your Bank had a Capital base of ₹82.00 crore consisting of 8,20,00,000 equity shares of ₹10/- each. In the year 1997, your Bank had raised additional capital by way of Initial Public Offer (IPO) consisting of 3,80,00,000 equity shares of ₹10/- each at a premium of ₹70/-.

 The Bank further issued 2,34,40,000 Equity Shares of ₹10/- each for cash at a premium of ₹186/- through a Preferential issue to Life Insurance Corporation of India in 2001.

 In the year 2011, the Bank further issued 46,92,554 equity shares of ₹10/- each for cash at a premium of ₹648.49 on Preferential basis to Government of India.

 In March 2013, the Bank further issued 47,85,137 equity shares of ₹10/- each for cash at a premium of ₹416.32 on Preferential basis to Government of India.

 Presently, the shareholding of Government of India in your Bank is ₹91.48 crore, which constitute 59.82% of total paid-up capital of the Bank. The Capital fund to Risk Weighted Assets as on September 30, 2013 is as under.

Particulars (As on 30.09.2013)	**Amount ₹ in crore**	**% of capital funds to risk weighted asset**
Risk Weighted Assets	**130031.67**	
Tier-I Capital	9185.47	7.06%
Tier-II Capital	4539.02	3.49%
Total Capital Funds	13724.49	10.55%

3. The Resolution seeks to enable the Bank to offer, issue and allot Equity shares by way of issue of Equity shares on Preferential basis and QIP on private placement basis etc. In case of preferential issue (a.) The shares will be issued to the Promoter, Government of India as permitted under chapter VII of SEBI (ICDR) Regulations; (b) the relevant date for pricing of the preferential issue shall be 15th November, 2013, i.e. 30 days prior to the date of EGM (i.e. 16th November, 2013 being a holiday for Stock Exchanges, 15th November, 2013 is considered as Relevant Date).; (c) pricing of the issue shall be calculated as per Clause 76 of the SEBI(ICDR) Regulations based on the relevant date of 15th November, 2013; (d) the share holding pattern of the issuer before and after the preferential issue shall be the existing paid-up capital of ₹152.91 crore plus the actual number of equity shares to be allotted by the Bank aggregating upto ₹450 crore (with premium) in terms of this resolution; (e) the preferential issue shall be completed within 15 days of this resolution or within 15 days of any statutory/regulatory approval or the approval of the Government of India for subscription to this preferential issue; and (f) auditors certificate shall be placed before the Board or its Committee meeting which approves the preferential issue under the authority of this resolution. The issue proceeds will enable the Bank to strengthen its Capital Adequacy requirements as specified by RBI from time to time.

4. The resolution further seeks to empower the Board of Directors to undertake Qualified Institutions Placement with Qualified Institutional Buyers as defined by SEBI (ICDR) Regulations. The Board of Directors may in their discretion adopt this mechanism as prescribed under chapter VIII of the SEBI(ICDR) Regulations for raising funds for the Bank.

5. **Pricing of the proposed Issue:**

 (A) Preferential Issue:

 The Issue Price will be determined in accordance with the Chapter VII of the SEBI (ICDR) Regulations.

 The "Relevant Date" for determining the issue price of the resultant equity shares shall be 15th November, 2013, being the date which is 30 days prior to the date for passing this special resolution by the Shareholders in the ensuing Extraordinary General Meeting to be held on 16th December, 2013.

(ख) क्यूआईपी इश्यू:

इश्यू मूल्य सेबी (आईसीडीआर) विनियमों के अध्याय VIII के अनुसार निर्धारित किया जाएगा ।

ईक्विटी शेयरों को क्यूआईपी आधार पर जारी करने हेतु मूल्य परिकलित करने के लिए 'प्रासंगिक तारीख' का तात्पर्य उस बैठक की तारीख से है, जिसमें निदेशक मंडल या निदेशक मंडल द्वारा विधित् प्राधिकृत निदेशकों की समिति प्रस्तावित इश्यू को खोलने का निर्णय करती है ।

क्यूआईपी इश्यू भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक और अन्य विनियामक प्राधिकारियों से आवश्यक अनुमोदनों के अधीन है और उक्त इश्यू की मात्रा भी भारत सरकार के अनुमोदन के अधीन होगी।

6. सेबी (आईसीडीआर) विनियमों के अनुसार, विशेष संकल्प की वैधता ऐसे क्यूआईपी हेतु असाधारण महा सभा में इस संकल्प को पारित करने की तारीख से बारह माह तक सीमित है।

7. क्यूआईपी ऑफर के लिए विस्तृत शर्तें एवं निबंधन मर्चेंट बैंकर, सलाहकारों, अग्रणी प्रबंधकों एवं हामीदारों तथा प्रचलित बाज़ार स्थितियों व अन्य विनियामक अपेक्षाओं पर विचार करते हुए और यथा अपेक्षित ऐसे अन्य प्राधिकारियों से परामर्श करके निर्धारित किया जाएगा।

8. दीर्घावधि संसाधनों द्वारा कारोबार में विस्तार करने के लिए निधियों की बढ़ती अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए और बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार सामान्य उधार प्रयोजनों और पूँजी पर्याप्तता से संबंधित बेसल III अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए, बैंक निम्नलिखित तरीकों से निधियाँ जुटाने का प्रस्ताव रखता है –

(क) 15 नवंबर 2013 को इस प्रयोजनार्थ प्रासंगिक तारीख मानते हुए समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूँजी का निर्गम एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम 2009 **(''सेबी (आईसीडीआर) विनियम'')** के विनियम 76 अध्याय VII के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित ₹ 306.75 के मूल्य पर 1,46,69,926 ईक्विटी शेयरों का प्रवर्तकों को अधिमान आधार पर अधिमान इश्यू ।

(ख) समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूँजी का निर्गम एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम 2009 **(''सेबी (आईसीडीआर) विनियम'')** में परिभाषित अनुसार प्रासंगिक तारीख मानते हुए उक्त विनियम के अध्याय VIII में दिए विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित मूल्य पर अर्हताप्राप्त संस्थागत क्रेताओं (क्यूआईबी) को क्यूआईपी आधार पर प्रत्येक ₹10/- के ईक्विटी शेयर जारी करना।

9. बैंक के निदेशक मंडल को उपर्युक्त अधिमान इश्यू और क्यूआईपी इश्यू करने और तत्संबंधी आबंटन करने के लिए समर्थ करने हेतु वर्तमान संकल्प को एक विशेष संकल्प के रूप में पारित करने का प्रस्ताव है ।

10. वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 22.10.2013 को बैंक को उपयुक्त समय पर बाज़ार से अतिरिक्त पूँजी जुटाने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन दिया है । इसलिए यह प्रत्सावित क्यूआईपी इश्यू क्यूआईबी के लिए और गैर-प्रवर्तकों के लिए निजी स्थानन आधार पर जारी करने के लिए अभिप्रेत है ।

11. सेबी (आईसीडीआर) विनियमों के अनुसार प्रस्तावित अधिमान इश्यू के निम्नलिखित ब्योरे प्रकट किए जाते हैं :

I. प्रस्तावित अधिमान इश्यू और क्यूआईपी इश्यू का उद्देश्य

पिछले कई वर्षों से बैंक 20% की औसत वृद्धि दर से प्रगति कर रहा है। बोर्ड के निर्णयानुसार दीर्घावधि स्रोतों के द्वारा कारोबार में विस्तार करने सामान्य ऋण प्रयोजनों के लिए निधियों की बढ़ती अपेक्षा को पूरा करने तथा पूँजी पर्याप्तता से संबंधित बेसल III अपेक्षाओं का पालन करने के लिए, बैंक, समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूँजी का निर्गम और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम 2009 **(सेबी (आईसीडीआर) विनियम)** के विनियम 76, अध्याय VII के प्रावधानों के अनुसार, निर्धारित ₹306.75 की कीमत पर प्रवर्तकों को अधिमान आधार पर ₹450 करोड़ के लिए 1,46,69,926 ईक्विटी शेयर अधिमान इश्यू द्वारा जारी करते हुए तथा उपयुक्त समय पर **सेबी (आईसीडीआर) विनियमों** के अंतर्गत निर्धारित मूल्य पर ₹1000 करोड़ की राशि क्यूआईपी द्वारा जुटाने का प्रस्ताव रखता है ।

अधिमान आबंटन द्वारा जुटाई जाने वाली पूँजी का बैंक द्वारा, किसी भी रूप में, अपनी किसी अनुषंगियों या संयुक्त उद्यमों आदि में निवेश करने के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा ।

II. उक्त ऑफर हेतु अभिदान करने के लिए प्रवर्तकों/निदेशकों/प्रमुख प्रबंधन व्यक्तियों का प्रस्ताव

निम्नलिखित खण्ड (V) के अनुसार प्रवर्तक के अलावा किसी निदेशक या प्रमुख प्रबंधन व्यक्ति का उक्त ईक्विटी शेयरों में अभिदान करने का आशय नहीं है ।

(B) QIP Issue :

The Issue Price shall be determined in accordance with the Chapter VIII of the SEBI (ICDR) Regulations.

The "relevant date" for calculating the pricing of equity shares for issuing it on QIP basis, shall mean the date of meeting in which the board of directors or the committee of directors duly authorized by the board of directors, decides to open the proposed issue.

The QIP issue is subject to necessary approvals from Government of India, Reserve Bank of India and other Regulatory Authorities, including size of the issue, as may be approved by the Government of India.

6. As per SEBI (ICDR) Regulations, the validity of the special resolution is restricted to twelve months from the date of passing this resolution in the EGM for such QIPs.

7. The detailed terms and conditions for the QIP offer will be determined in consultation with the Merchant Banker, Advisors, Lead Managers and Underwriters and such other Authority/s as may be required, considering the prevailing market conditions and other regulatory requirements.

8. In order to meet the growing requirement of funds for expanding the business by way of long term resources and for general lending purposes as also to comply with Basel III requirements relating to Capital adequacy as may be decided by the Board, the Bank proposes to raise funds by way of –

 a) Preferential issue of upto 1,46,69,926 equity shares at a price of ₹306.75 determined in accordance with the provisions of Regulation 76, Chapter VII of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations 2009, as amended from time to time, ("**SEBI (ICDR) Regulations**") considering 16th November, 2013 as the Relevant Date for this purpose, on preferential basis to Promoters.

 b) Issue of Equity shares of ₹10/- each on QIP basis to Qualified Institutional buyers (QIBs) at a price to be determined in accordance with the regulatory guidelines contained in Chapter VIII of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations 2009, as amended from time to time, ("**SEBI (ICDR) Regulations**") considering the Relevant Date as defined in the said regulation.

9. The present resolution is proposed to be passed as a special resolution in order to enable the Board of Directors of the Bank to make the above-mentioned preferential issue and QIP issue and to make allotment thereof.

10. The Ministry of Finance, Government of India, vide letter dated 22.10.2013, has given in-principle approval to the Bank for raising additional capital from market at appropriate time. Hence, this proposed QIP issue is meant for QIBs and those who are non-promoters, on private placement basis.

11. The following details of the proposed preferential issue are disclosed in accordance with the provisions of SEBI (ICDR) Regulations:

I. The Objects of the proposed Preferential and QIP Issue are:

The Bank is growing at an average growth rate of around 20% over the last many years. In order to meet the growing requirement of funds for expanding the business by way of long term resources and for general lending purposes as may be decided by the Board as also to comply with BASEL III requirements relating to capital adequacy, the Bank proposes to raise funds by way of Preferential issue to the tune of ₹450 crore comprising of 1,46,69,926 equity shares at a price of ₹306.75 determined in accordance with the provisions of Regulation 76, Chapter VII of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations 2009, as amended from time to time, (**"SEBI (ICDR) Regulations"**) and by way of QIP issue to the tune of ₹1000 crore at a price to be determined under **SEBI (ICDR) Regulations** at appropriate time.

The capital to be raised through this preferential allotment of equity will not be used by the Bank for making investment, in whatever form, in any of its subsidiaries, joint ventures etc.

II. Proposal of the Promoters / Directors / Key Management Persons of the issue to subscribe to the offer:

None of the Directors or Key Management persons other than Promoter as mentioned in Clause (V) below intends to subscribe to the equity shares.

III. प्रस्तावित अधिमान ऑफर से पहले और बाद में शेयरधारिता पैटर्न:

क्र. सं.	शेयरधारकों का नाम	शेयरों की संख्या के अनुसार आबंटन से पूर्व	आबंटन से पूर्व प्रदत्त पूँजी का %	शेयरों की संख्या के अनुसार आबंटन के बाद	आबंटन के बाद प्रदत्त पूँजी का %
1.	प्रवर्तक भारत के राष्ट्रपति	9,14,77,691	59.82	10,61,47,617	63.34
2.	अन्य शेयरधारक	6,14,36,700	40.18	6,14,36,700	36.66
3.	कुल (1+2)	15,29,14,391	100.00	16,75,84,317	100.00

IV. इश्यू पूरा करने के लिए समयावधि:

क) शेयरधारकों द्वारा संकल्प पारित करने के 15 दिनों के भीतर अधिमान आधार पर जारी किए जाने वाले ईक्विटी शेयरों के आबंटन को पूरा किया जाएगा बशर्ते कि आबंटन का समय ऐसे आबंटन हेतु किसी विनियामक प्राधिकारी, यदि कोई, से अनुमोदन प्राप्त करने हेतु लिए जानेवाले समय तक बढ़ाया जाएगा ।

ख) क्यूआईपी आधार पर ईक्विटी शेयरों का आबंटन संकल्प पारित करने की तारीख से बारह माह की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा।

V. प्रस्तावित आबंटितियों की पहचान और उनके द्वारा अधिमान इश्यू के पश्चात् धारित प्रतिशतता और अधिमान इश्यू के परिणाम स्वरूप इश्यूकर्ता के नियंत्रण में परिवर्तन, यदि हो:

प्रस्तावित आबंटितियों की पहचान	शेयरों की संख्या के अनुसार आबंटन से पूर्व	आबंटन से पूर्व प्रदत्त पूँजी का %	अधिमान आधार पर आबंटित किए जाने वाले ईक्विटी शेयरों की सं.	शेयरों की संख्या के अनुसार आबंटन के बाद	आबंटन के बाद प्रदत्त पूँजी का %	आबंटन के बाद वृद्धिशील %
भारत के राष्ट्रपति	9,14,77,691	59.82	1,46,69,926	10,61,47,617	63.34	3.52

बैंक के वर्तमान प्रवर्तक, अर्थात् भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति) बैंक पर अपना नियंत्रण जारी रखेंगे और प्रस्तावित अधिमान आबंटन और क्यूआईपी, यदि कोई, के आधार पर शेयरों के आबंटन के परिणामस्वरूप बैंक के प्रबंधन/नियंत्रण में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

VI. आशय-पत्र

आपके बैंक को संदर्भ संख्या फा. सं.11/13/2011-बीओए दिनांक 22 अक्तूबर, 2013 द्वारा वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, वित्तीय सेवाएं विभाग से संसूचना प्राप्त हुई है कि भारत सरकार अर्थात् भारत के राष्ट्रपति के पक्ष में ईक्विटी के अधिमान आबंटन द्वारा ₹450 करोड़ (रुपए चार सौ पचास करोड़ मात्र) की हद तक पूँजी लगाने का भारत सरकार ने निर्णय लिया है ।

इसके अलावा, अपने दूसरे पत्र संदर्भ फा. सं. 11/13/2011-बीओए दिनांक 22.10.2013 के द्वारा सरकार ने बैंक के निर्णय के अनुसार उपयुक्त समय पर बाज़ार से पूँजी जुटाने के लिए यह सूचित करते हुए सैद्धांतिक अनुमोदन दिया है कि बैंक को भारत सरकार से अनुमोदन सहित सभी विशिष्ट अनुमोदन लेना है और प्रस्तावित कार्रवाई के बारे में वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, वित्तीय सेवाएं विभाग को सूचित करना है।

VII. क्यूआईपी हेतु स्थानन दस्तावेज़:

क्यूआईपी स्थानन दस्तावेज़ के आधार पर किया जाएगा जिसमें सेबी (आईसीडीआर) विनियमों की अनुसूची XVIII में विनिर्दिष्ट सूचना सहित सभी महत्वपूर्ण सूचना दी जाएगी।

VIII. सांविधिक लेखा-परीक्षकों से प्रमाणन:

प्रस्तावित अधिमान इश्यू पर विचार करने के लिए सांविधिक लेखा-परीक्षकों से यह प्रमाणित करते हुए प्राप्त प्रमाण-पत्र शेयरधारकों की असाधारण महासभा में रखा जाएगा कि उक्त इश्यू सेबी (आईसीडीआर) विनियमों की अपेक्षाओं के अनुसार किया जा रहा है। उक्त प्रमाण-पत्र की एक प्रति 16 दिसंबर, 2013 को असाधारण महासभा में निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराई जाएगी।

III. Shareholding Pattern before and after the proposed Preferential Offer:

Sr. No.	Name of Shareholders	Pre-allotment in terms of No. of Shares	% of Pre-allotment Paid Up Capital	Post-allotment in terms of No. of Shares	% of Post-allotment Paid Up Capital
1.	Promoter President of India	9,14,77,691	59.82	10,61,47,617	63.34
2.	Other Shareholders	6,14,36,700	40.18	6,14,36,700	36.66
3.	Total (1+2)	15,29,14,391	100.00	16,75,84,317	100.00

IV. The timeline within which the issue shall be completed:

a) The allotment of equity shares on Preferential basis shall be made within 15 days of the passing of the resolution by the shareholders, provided the time for allotment shall be extended by the time taken for obtaining approval for such allotment by any regulatory authority if any.

b) The allotment of equity shares on QIP basis shall be completed within a period of twelve months from the date of passing the resolution.

V. The identity of the Proposed Allottees and the percentage of post Preferential Issue capital that may be held by them and change in control, if any, in the issuer consequent to the preferential issue:

Identity of the Proposed Allottee	Pre-allotment in terms of No. of Shares	% of the Pre-allotment Paid up Capital	No. of Equity shares to be allotted on Preferential basis	Post-allotment in terms of No. of Shares	% of Post-allotment Paid up Capital	Incremental % post-allotment
President of India	9,14,77,691	59.82	1,46,69,926	10,61,47,617	63.34	3.52

The existing promoters of the Bank i.e. the President of India will continue to vest their control over the Bank and there will not be any change in the management/control on the Bank as a result of the proposed preferential allotment and allotment of shares on QIP basis, if any.

VI. Letter of Intent:

Your Bank has received a communication vide reference Number F. No. 11/13/2011-BOA dated 22nd October, 2013 from the Ministry of Finance, Government of India, Department of Financial Services agreeing to infuse to the extent of ₹450 Crore (Rupees four hundred fifty crore) by way of preferential allotment of equity in favour of the Government of India, i.e. President of India.

Further, vide their another letter reference No. F. No.11/13/2011-BOA dated 22.10.2013, the Government conveyed its in principle approval to the Bank for raising capital from market at an appropriate time as the bank may decide, advising the bank to take all necessary specific approvals including that of Government of India and to intimate the Ministry of Finance, Government of India, Department of Financial Services, about the proposed action.

VII. Placement Document for QIP:

The QIP shall be made on the basis of a placement document which shall contain all material information, including those specified in Schedule XVIII of SEBI (ICDR) Regulations.

VIII. Certification from Statutory Auditors:

A Certificate from the Statutory Auditors shall be placed before the Extraordinary General Meeting of the Shareholders, considering the proposed preferential issue, certifying that the issue is being made in accordance with the requirements of the SEBI (ICDR) Regulations. A copy of the said certificate will be made available for inspection at the Extraordinary General Meeting on 16th December, 2013.

IX. निश्चित अवरुद्धता अवधि:

सेबी (आईसीडीआर) विनियमों के अनुसार, प्रवर्तकों, अर्थात् भारत सरकार को अधिमान आधार पर जारी करने हेतु प्रस्तावित ईक्विटी शेयर आबंटन उन स्टाक एक्सचेंजों से जहाँ बैंक के ईक्विटी शेयर सूचीबद्ध किए गए हैं वहाँ के अंतिम ट्रेडिंग अनुमोदन की तारीख से तीन वर्ष के लिए निश्चित अवरुद्धता अवधि के अधीन होंगे।

क्यूआईपी आधार पर जारी ईक्विटी शेयरों की अंतरणीयता:

सेबी (आईसीडीआर) विनियमों के अनुसार, क्यूआईबी को क्यूआईपी के आधार पर जारी करने हेतु प्रस्तावित ईक्विटी शेयर अबंटिती द्वारा मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में छोड़कर, आबंटन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए नहीं बेचा जाएगा ।

X. उपर्युक्तानुसार जारी ईक्विटी शेयर सभी दृष्टियों से बैंक के वर्तमान ईक्विटी शेयरों के समान होंगे।

XI. जिन स्टाक एक्सचेंजों में बैंक के ईक्विटी शेयर सूचीबद्ध किए गए हैं, उनके साथ हुए ईक्विटी सूचीकरण करार में विनिर्दिष्टानुसार ईक्विटी शेयरों की लगातार सूचीकरण करने की शर्त का बैंक ने अनुपालन किया है ।

XII. पूर्वोक्त कारणों से, बोर्ड को इश्यू की शर्तों को अंतिम रूप देने के लिए पर्याप्त लचीलापन एवं विवेकाधिकार देने के उद्देश्य से यह समर्थक संकल्प पारित करने हेतु प्रस्तावित है।

XIII. इस प्रयोजन के लिए बैंक को एक विशेष संकल्प द्वारा शेयरधारकों से सहमति प्राप्त करना अपेक्षित है। अतः उपर्युक्त प्रस्ताव के लिए आपकी सहमति आवश्यक है।

XIV. भारत में बैंक के ईक्विटी शेयरों को सूचीबद्ध किए गए विभिन्न स्टॉक एक्सचेंजों के साथ बैंक द्वारा निष्पादित सूचीकरण करार के खण्ड 23 में अन्य बातों के साथ-साथ ऐसा उपबंध है कि जब अतिरिक्त शेयर आबंटित करते हुए बैंक की निर्गमित पूँजी को बढ़ाने का प्रस्ताव है, वहाँ विशेष संकल्प द्वारा महासभा में शेयरधारकों द्वारा अन्यथा निर्णय न लेने पर ऐसे शेयर बैंक के वर्तमान शेयरधारकों को उनकी शेयरधारिता के अनुपात में अभिदान हेतु सबसे पहले ऑफर किए जाएंगे । चूँकि पूर्णतः प्रदत्त ईक्विटी शेयरों का प्रस्तावित आबंटन बैंक के वर्तनाम शेयरधारकों को आनुपातिक रूप से नहीं है, अतः उपर्युक्त संकल्प पारित करने की आवश्यकता है। यही नहीं, यह सेबी (आईसीडीआर) विनियम 2009 के विनियम 72 के अंतर्गत अपेक्षित भी है ।

XV. उपर्युक्त को देखते हुए, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अभिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम 1980 की धारा 3(2ई) के प्रावधानों के अधीन, जो निम्नानुसार है:

केन्द्र सरकार के अलावा अनुरूपी बैंक का कोई भी शेयरधारक, उक्त अनुरूपी नए बैंक के सभी शेयरधारकों के द्वारा धारित शेयरों के संबंध में दस प्रतिशत से अधिक मताधिकार का प्रयोग करने हेतु पात्र नहीं होगा और कार्पोरेशन बैंक (शेयर और बैठक) विनियम 1998 के विनियम 61 के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूँजी का निर्गम और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम 2009 के अध्याय VII के अनुसार विशेष संकल्प के रूप में उपर्युक्त संकल्प को पारित करने हेतु शेयरधारकों का अनुमोदन माँगा जा रहा है ।

XVI. आपके निदेशक उक्त संकल्प को अनुमोदन हेतु सिफारिश करते हैं ।

XVII. बैंक के निदेशकों को अपनी व्यक्तिगत हैसियत से या भारत सरकार के नामिती के रूप में बैंक में उनकी शेयरधारिता की हद तक संकल्प की सूचना से संबंधित या हित निहित माना जाए ।

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते कार्पोरेशन बैंक

(एस.के. दाश)
कंपनी सचिव

स्थान : मंगलूर
दिनांक : 14.11.2013

संबंधित अधिनियम, विनियम आदि का सार

इस संबंध में क्रमशः यथासंशोधित बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अभिग्रहण तथा अंतरण) अधिनियम, 1980 की संबंधित धाराएँ तथा कार्पोरेशन बैंक सामान्य विनियम, 1998 शेयरधारकों की सूचनार्थ पुनःप्रस्तुत है।

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अभिग्रहण तथा अंतरण) अधिनियम, 1980
मताधिकार पर प्रतिबंध

धारा 3(2ई): केन्द्र सरकार के अलावा कोई भी शेयरधारक बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मताधिकार के दस प्रतिशत से अधिक उनके द्वारा धारित शेयरों के संबंध में मताधिकार का प्रयोग करने हेतु पात्र नहीं होगा।

IX. Lock-in period:

As per the SEBI (ICDR) Regulations, the equity shares proposed to be issued on preferential basis to the Promoters i.e. Government of India shall be subject to a lock-in period of three years from the date of latest trading approval from the stock exchanges where equity shares of the bank are listed.

Transferability of Equity shares issued on QIP basis:

As per SEBI (ICDR) Regulations, the equity shares proposed to be issued on QIP basis to QIBs shall not be sold by the allottee for a period of one year from the date of allotment, except on a recognized stock exchange.

X. The equity shares issued as above shall rank pari passu in all respects with the existing equity shares of the Bank.

XI. The Bank is in compliance with the conditions of continuous listing of equity shares as specified in the Listing Agreement for Equity with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed. The Government of India has not sold any equity shares of the Bank during the six months preceding the Relevant Date.

XII. For reasons aforesaid, an enabling resolution is therefore proposed to be passed to give adequate flexibility and discretion to the Board to finalise the terms of the issue.

XIII. For this purpose the bank is required to obtain the consent of the shareholders by means of a Special Resolution. Hence your consent is required for the above proposal.

XIV. Clause 23 of the Listing Agreement executed by the Bank with the various stock exchanges in India where the Bank's Equity Shares are listed, provide inter-alia that when it is proposed to increase the issued capital of the Bank by allotment of further shares, such shares, shall be first offered to the existing shareholders of the Bank for subscription in proportion to their shareholding in the Bank unless the shareholders decide otherwise in a general meeting by a special resolution. As it is proposed to allot fully paid up Equity Share other than on pro rata to the existing shareholders of the Bank, the above resolution is required to be passed. Further, it is also required under the SEBI (ICDR) Regulations, 2009.

XV. In view of the above, approval of the shareholders is sought, subject to provisions of Section 3(2E) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, which is stated as under:

"No shareholder of the corresponding New Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting right in respect of the shares held by them in excess of ten percent of the total voting rights of all the shareholders of the corresponding New Bank", and in terms of the provisions of the Chapter VII of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009, as amended read with Regulation 61 of the Corporation Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1998, to pass the above Resolution as a Special Resolution.

XVI. Your Directors recommend the resolution for your approval.

XVII. The Directors of the Bank may be deemed to be concerned with or interested in the resolution of the notice to the extent of their shareholding in the Bank in their individual capacity or as nominee of Government of India.

By order of the Board of Directors
for CORPORATION BANK



Place : Mangalore
Date : 14.11.2013

(S. K. DASH)
COMPANY SECRETARY

EXTRACTS OF RELEVANT ACTS, REGULATIONS ETC.

The relevant sections of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, as amended, and the relevant regulations of the Corporation Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1998, respectively in this regard are reproduced below for information of the shareholders.

THE BANKING COMPANIES (ACQUISITION AND TRANSFER OF UNDERTAKINGS) ACT, 1980:

Restrictions on voting rights

Section 3(2E) No Shareholder of the bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the bank.

कार्पोरेशन बैंक (शेयर और बैठक) विनियम, 1998 अध्याय II (शेयर तथा शेयर रजिस्टर):

10. संयुक्त धारकों के अधिकारों का प्रयोग:

यदि कोई शेयर दो या दो से अधिक व्यक्तियों के नाम पर है, तो मतदान, लाभांश की प्राप्ति, नोटिस देने तथा शेयर अंतरण को छोडकर बैंक के सभी या कोई अन्य मामले के संबंध में, उस व्यक्ति को एक मात्र धारक माना जाएगा जिसका नाम रजिस्टर में पहले आता हो।

अध्याय IV (शेयरधारकों की बैठक)

61. महासभा में मतदान

i) किसी भी महासभा में, बैठक में वोटिंग हेतु प्रस्तुत संकल्प पर, मतदान की माँग न किए जाने पर, हस्त प्रदर्शन द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

ii) अधिनियम में अन्यथा न दिए जाने पर, महासभा में प्रस्तुत हर मामले का निर्णय मतों के बहुमत के द्वारा लिया जाएगा।

iii) जब तक उप-विनियम (i) के तहत मतदान की मांग न की जाए, बैठक के अध्यक्ष द्वारा यह घोषणा कि हस्त प्रदर्शन के द्वारा सर्वसम्मति से या विशिष्ट बहुमत द्वारा संकल्प लिया गया है या नहीं तथा कार्यवाही की कार्यवृत्त-पुस्तक में इस आशय की प्रविष्टि, ऐसे संकल्प के पक्ष में या विरुद्ध डाले गए मत की संख्या या अनुपात के प्रमाण के बिना, उक्त तथ्य का निर्णायक साक्ष्य होगा।

iv) हस्त प्रदर्शन पर किसी संकल्प पर मतदान के परिणाम की घोषणा पर या उससे पहले, एक मतदान का आदेश दिया जा सकता है जो बैठक के अध्यक्ष द्वारा अपने प्रस्ताव पर हो सकता है तथा उनके द्वारा व्यक्तिगत रूप से या प्रॉक्सी द्वारा उपस्थित ऐसे किसी शेयरधारक या शेयरधारकों की ओर से माँग किए जाने पर, जो बैंक में शेयर धारित करते हों जो उन्हें संकल्प पर मतदान करने का अधिकार देते हों, जो उक्त संकल्प के संबंध में कुल मताधिकार के पाँचवें भाग से कम न हो।

v) मतदान हेतु की गई मांग किसी भी समय मांग करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा वापस ली जा सकती है।

vi) स्थगन के प्रश्न पर या बैठक के अध्यक्ष के चुनाव की मांग पर मतदान तत्काल किया जाएगा।

vii) किसी अन्य प्रश्न पर मतदान की मांग को ऐसी मांग करने के समय के अड़तालीस घंटों के अंदर पूरा किया जाएगा जैसा कि बैठक के अध्यक्ष का निर्देश हो।

viii) किसी भी व्यक्ति के मतदान करने की योग्यता तथा मतदान के मामले में भी मतदान करने हेतु मतों की संख्या के संबंध में किसी भी व्यक्ति की सक्षमता के संबंध में बैठक के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।

अध्याय VI (शेयरधारकों का मताधिकार)

68. मताधिकार का निर्धारण-

i) अधिनियम की धारा 3(2ई) में सम्मिलित प्रावधानों के अधीन, प्रत्येक शेयरधारक जिन्हें महासभा के दिनांक से पहले रजिस्टर की बंदी के दिनांक को शेयरधारक के रूप में पंजीकृत किया गया है, ऐसी बैठक में हस्त प्रदर्शन पर एक वोट प्राप्त होगा तथा मतदान के मामले में उनके द्वारा धारित शेयर के लिए हस्त प्रदर्शन पर एक वोट होगा।

ii) अधिनियम की धारा 3(2ई) में सम्मिलित प्रावधानों के अधीन, प्रत्येक शेयरधारक जो कंपनी न हो, पूर्वोक्तानुसार मतदान हेतु पात्र है, जो व्यक्तिगत रूप से या प्रॉक्सी द्वारा उपस्थित हो या जो कंपनी होने पर विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा या प्रॉक्सी द्वारा उपस्थित हो, को हस्त प्रदर्शन पर एक वोट प्राप्त होगा तथा मतदान के मामले में उनके द्वारा धारित शेयर के लिए एक वोट होगा जैसा कि उपरोक्त उप-विनियम (i) में उल्लेख किया गया है।

स्पष्टीकरण - इस अध्याय के लिए, 'कंपनी' का अर्थ है कोई भी निगमित निकाय।

iii) महासभा में उपस्थित होने तथा मतदान करने के पात्र बैंक के शेयरधारक उनके स्थान पर उपस्थित होने तथा मतदान करने के लिए अपने प्रॉक्सी के रूप में दूसरे व्यक्ति (शेयरधारक हो या न हो) को नियुक्त करने का हकदार होंगे; तथापि इस प्रकार नियुक्त प्रॉक्सी को बैठक में बोलने का कोई अधिकार नहीं होगा।

69. विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा मतदान-

i) शेयरधारक, केंद्र सरकार या कंपनी होने पर, संकल्प द्वारा, यथास्थिति, शेयरधारकों की किसी महासभा में उसके प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने हेतु अपने अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति को प्राधिकृत करेगा तथा इस प्रकार प्राधिकृत व्यक्ति ('विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि' के रूप में उल्लिखित) केंद्र सरकार या कंपनी की ओर से वही अधिकार का प्रयोग करने हेतु पात्र होगा जिसका वह प्रतिनिधित्व कर रहा है, मानो वह बैंक का व्यक्तिगत शेयरधारक हो। इस प्रकार प्रदत्त प्राधिकार वैकल्पिक रूप में दो व्यक्तियों के पक्ष में हो सकता है तथा ऐसे मामले में ऐसे व्यक्तियों में से कोई एक केंद्र सरकार/कंपनी के विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य कर सकता है।

ii) कोई व्यक्ति बैंक के शेयरधारकों की किसी भी बैठक में विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने और मतदान करने हेतु तब तक पात्र नहीं होगा जब तक उसे विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने वाले संकल्प की प्रति को उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा, जिस बैठक में वह पारित किया गया हो, सत्य प्रति प्रमाणित किया गया हो, बैठक की निर्धारित तारीख से कम-से-कम **चार** दिन पहले बैंक के प्रधान कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया जाता है ।

CORPORATION BANK (SHARES AND MEETINGS) REGULATIONS, 1998 CHAPTER II (SHARES AND SHARE REGISTER):

10. Exercise of rights of joint holders :

If any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, receipt of dividends, service of notices and all or any other matter connected with the Bank, except the transfer of shares, be deemed to be the sole holder thereof.

CHAPTER IV (MEETINGS OF SHAREHOLDERS)

61. Voting at general meetings:

i) At any general meeting, a resolution put to the vote of the meeting shall, unless a poll is demanded, be decided on a show of hands.

ii) Save as otherwise provided in the Act, every matter submitted to a general meeting shall be decided by a majority of votes.

iii) Unless a poll is demanded under sub-regulation (i), a declaration by the Chairman of the meeting that a resolution on show of hands has or has not been carried either unanimously or by a particular majority and an entry to that effect in the books containing the minutes of the proceedings, shall be conclusive evidence of the fact, without proof of the number or proportion of the votes cast in favour of, or against, such resolution.

iv) Before or on the declaration of the result of the voting on any resolution on a show of hands, a poll may be ordered to be taken by the chairman of the meeting of his own motion, and shall be ordered to be taken by him on a demand made in that behalf by any shareholder or shareholders present in person or by proxy and holding shares in the Bank which confer a power to vote on the resolution not being less than one fifth of the total voting power in respect of the resolution.

v) The demand for a poll may be withdrawn at any time by the person or persons who made the demand.

vi) A poll demanded on a question of adjournment or election of chairman of the meeting shall be taken forthwith.

vii) A poll demanded on any other question shall be taken at such time not being later than forty eight hours from the time when the demand was made, as the chairman of the meeting may direct.

viii) The decision of the chairman of the meeting as to the qualification of any person to vote, and also in the case of poll, as to the number of votes any person is competent to exercise shall be final.

CHAPTER VI (VOTING RIGHTS OF SHAREHOLDERS)

68. Determination of voting rights:

i) Subject to the provisions contained in Section 3(2E) of the Act, each shareholder who has been registered as a shareholder on the date of closure of the register prior to the date of a general meeting shall, at such meeting, have one vote on show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him.

ii) Subject to the provisions contained in Section 3(2E) of the Act, every shareholder entitled to vote as aforesaid who, not being a company, is present in person or by proxy or who being a company is present by a duly authorised representative, or by proxy shall have one vote on a show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him as stated hereinabove in sub-regulation (i).

Explanation - For this Chapter, "Company" means any body corporate.

iii) Shareholders of the Bank entitled to attend and vote at a general meeting shall be entitled to appoint another person (whether a shareholder or not) as his proxy to attend and vote instead of himself; but a proxy so appointed shall not have any right to speak at the meeting.

69. Voting by duly authorised representative:

i) A shareholder, being the Central Government or a company, may, by a resolution, as the case may be, authorise any of its officials or any other person to act as its representative at any general meeting of the shareholders and the person so authorised (referred to as a "duly authorised representative" in these regulations) shall be entitled to exercise the same powers on behalf of the Central Government or company which he represents, as if he were an individual shareholder of the Bank. The authorisation so given may be in favour of two persons in the alternative and in such a case any one of such persons may act as the duly authorised representative of the Central Government/company.

ii) No person shall attend or vote at any meeting of the shareholders of the Bank as the duly authorised representative of a company unless a copy of the resolution appointing him as a duly authorised representative, certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been deposited at the Head Office of the Bank not less than four days before the date fixed for the meeting.

कार्पोरेशन बैंक
प्रधान कार्यालय: मंगलादेवी मंदिर मार्ग,
मंगलूर – 575 001

Corporation Bank
Head Office : Mangala Devi Temple Road,
Mangalore – 575 001

असाधारण महासभा हेतु उपस्थिति पत्रक–सह–प्रवेश पत्र
दिनांक: 16 दिसंबर, 2013 समय: पूर्वाह्न 11.00 बजे

स्थान: सभागृह
सहस्त्राब्दि भवन
कार्पोरेशन बैंक
प्रधान कार्यालय, मंगलूर – 575 001

ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS
FOR EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
Date : 16th December, 2013 Time :11.00 a.m.

Place : Auditorium
Millennium Building
Corporation Bank
Head Office, Mangalore – 575 001

उपस्थिति पत्रक ATTENDANCE SLIP

(प्रवेश के समय जमा किया जाए) (To be surrendered at the time of entry)

नाम स्पष्ट अक्षरों में/NAME IN BLOCK LETTERS (सदस्य Member/प्रॉक्सी Proxy)	फोलियो/डीपीआईडी/ग्राहक आईडी सं FOLIO/DPID/CLIENT ID NO.	शेयरों की संख्या NO. OF SHARES

.....
शेयरधारक/प्रॉक्सी/उपस्थित प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
Signature of Shareholder/Proxy/Representative present

प्रवेश पत्र ENTRY PASS

नाम स्पष्ट अक्षरों में/NAME IN BLOCK LETTERS (सदस्य Member/प्रॉक्सी Proxy)	फोलियो/डीपीआईडी/ग्राहक आईडी सं. FOLIO/DPID/CLIENT ID NO.	शेयरों की संख्या NO. OF SHARES

शेयरधारकों/प्रॉक्सीधारकों/प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि बैठक हाल में प्रवेश हेतु इस उपस्थिति पत्रक–सह–प्रवेश पत्र को विधिवत् हस्ताक्षर करके प्रस्तुत करें। प्रवेश–पत्र वाला भाग शेयरधारकों/प्रॉक्सीधारकों/प्रतिनिधियों को लौटा दिया जाएगा जिसे उन्हें बैठक समाप्त होने तक अपने पास रखना चाहिए। फिर भी प्रवेश यथा आवश्यकतानुसार आगे सत्यापन/जाँच के अध्यधीन होगा। किसी भी हालत में बैठक हाल के प्रवेशद्वार पर उपस्थिति पत्रक–सह–प्रवेश पत्र की दूसरी प्रति जारी नहीं की जाएगी।

पुन:श्च: बैठक में कोई उपहार/उपहार कूपन नहीं बाँटे जाएंगे।

Shareholders/Proxy holders/Representatives are requested to produce this Attendance-slip-cum-Entry pass duly signed, for admission to the meeting hall. The Entry pass portion will be handed back to the Shareholders/Proxy holders/Representatives, who should retain it till the conclusion of the meeting. The admission may, however, be subject to further verification/checks, as may be deemed necessary. Under no circumstances, will any duplicate Attendance slip-cum-Entry pass be issued at the entrance to the meeting hall.

P.S.: No gifts/gift coupons will be distributed at the meeting.

कार्पोरेशन बैंक

प्रधान कार्यालय: मंगलूर-575 001

पंजीकृत फोलियो सं. सीबीई..... (यदि डीमेट न किया गया हो)
डीपीआईडी सं. ग्राहक आईडी सं. (यदि डीमेट किया गया हो)

फार्म 'बी'

प्रॉक्सी फार्म

(शेयरधारक द्वारा भरकर हस्ताक्षरित किया जाए)

मैं/हम राज्य के जिले के का/के निवासी कार्पोरेशन बैंक का/के शेयरधारक होने के नाते एतद्द्वारा राज्य के जिले के निवासी श्री/श्रीमती को अथवा उनके उपस्थित न हो सकने पर राज्य के जिले के निवासी श्री/श्रीमती को 16 दिसंबर, 2013 को, सहस्राब्दि भवन, कार्पोरेशन बैंक, प्रधान कार्यालय, मंगलूर में आयोजित होनेवाली बैंक के शेयरधारकों की असाधारण महासभा में तथा इसके अधिस्थगन में मेरी/हमारी ओर से मेरे/हमारे लिए वोट देने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करता हूँ/करते हैं।

कृपया पंद्रह पैसे का रसीदी टिकट चिपकाएं

..... माह के दिन, 2013 को हस्ताक्षरित।

.....
प्रॉक्सी के हस्ताक्षर

प्रथम धारक/एकमात्र धारक के हस्ताक्षर

नाम : _____

पता : _____

प्रॉक्सी फार्म पर हस्ताक्षर करने और प्रस्तुत करने संबंधी अनुदेश

1. प्रॉक्सी लिखत वैध होने के लिए यह जरूरी है कि
 क. व्यक्तिगत शेयरधारक के मामले में यह उसके द्वारा या लिखित रूप में विधिवत् प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो।
 ख. संयुक्त धारकों के मामले में सदस्य-रजिस्टर में प्रथम नामित शेयरधारक द्वारा या लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो।
 ग. किसी कार्पोरेट निकाय के मामले में यह सामान्य मोहर अगर कोई है, के साथ इसके अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एवं निष्पादित किया जाएगा या अन्यथा लिखित रूप में विधिवत् प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो।
2. प्रॉक्सी की कोई लिखत जिस में शेयरधारक के अंगूठे का निशान है, वैध होगी बशर्ते यह किसी जज, मजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार या सब-रजिस्ट्रार, एश्योरेंस या किसी सरकारी राजपत्रित अधिकारी या कार्पोरेशन बैंक के अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित की गयी हो।
3. प्रॉक्सी के साथ
 क. मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार (यदि कोई है) जिसके तहत यह हस्ताक्षरित किया गया या
 ख. नोटरी पब्लिक या किसी मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित उस मुख्तरनामा या प्राधिकार की प्रति असाधारण महासभा प्रारंभ होने की तारीख से चार दिन पहले अर्थात् **मंगलवार, 10 दिसंबर, 2013** को कार्यालय समय की समाप्ति अर्थात् **अपराह्न 5.00 बजे** तक या उसके पहले कार्पोरेशन बैंक के प्रधान कार्यालय में जमा की जानी चाहिए।
4. यदि संबद्ध मुख्तारनामा कार्पोरेशन बैंक या इसके शेयर अंतरण एजेंट के पास पहले ही पंजीकृत किया जा चुका है तो मुख्तरनामे की पंजीकरण संख्या तथा ऐसे पंजीकरण की तिथि उल्लिखित की जानी चाहिए।
5. कोई भी प्रॉक्सी तब तक वैध नहीं होगी जब तक कि उस पर विधिवत् स्टैम्प न लगाया जाए।
6. बैंक में जमा की गई प्रॉक्सी लिखत अप्रतिसंहरणीय तथा अंतिम होगी।
7. यदि प्रॉक्सी लिखत वैकल्पिक रूप में दो प्राप्तिकर्ताओं के पक्ष में प्रदान की गई है तो एक से अधिक फार्म निष्पादित नहीं किया जाएगा।
8. शेयरधारक जिसने प्रॉक्सी लिखत निष्पादित की है, ऐसी लिखत जिस बैठक से संबंधित है उसमें व्यक्तिगत रूप से वोट डालने का हकदार नहीं होगा।
9. कार्पोरेशन बैंक के किसी कर्मचारी अथवा अधिकारी को विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।
10. कोई भी प्रॉक्सी लिखत तब तक वैध नहीं होगी जब तक कि यह फार्म ''बी'' में न हो।

Regd. Folio No.CBE……. (If not Dematerialised)
DPID No……. Client ID No…… (If Dematerialised)

Corporation Bank

Head Office : Mangalore – 575 001

FORM 'B'

FORM OF PROXY

(To be filled in and signed by the shareholder)

I/We,_____ Resident of _____ in the district of _____ in the State of _____ _____ being a shareholder/s of CORPORATION BANK, hereby appoint Shri/Smt. _____ _____ resident of _____ in the district of _____ in the State of _____ or failing him/her, Shri/Smt._____ resident of _____ in the district of _____ _____ in the State of _____ as my/our proxy to vote for me/us on my/our behalf at the EXTRAORDINARY GENERAL MEETING of the shareholders of the Bank to be held on 16th day of December, 2013, at MILLENNIUM BUILDING, CORPORATION BANK, HEAD OFFICE, MANGALORE and at any adjournment thereof.

Signed this _____ day of _____ 2013.

Please affix fifteen paise revenue stamp

.....
Signature of the Proxy

Signature of the first holder/sole holder

Name : _____
Address : _____

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

1. The instrument of proxy to be valid,
 a. in case of an individual shareholder, shall be signed by him/her or by his/her attorney duly authorised in writing.
 b. in the case of joint holders, shall be signed by the shareholder first named in the Register of Members or by his/her attorney duly authorised in writing.
 c. in the case of a body corporate, shall be signed by its officer and executed under its Common Seal, if any, or otherwise signed by its attorney duly authorised in writing.
2. An instrument of proxy, in which the thumb impression of the shareholder is affixed, will be valid provided it is attested by a Judge, Magistrate, Registrar of Sub-Registrar of Assurances or any other Government Gazetted Officer or an officer of Corporation Bank.
3. The proxy together with
 a. the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed or
 b. a copy of that power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited at the Head Office of Corporation Bank, not later than FOUR DAYS before the date of the Extraordinary General Meeting, i.e. on or before closing hours i.e. **5.00 p.m. of Tuesday 10th December, 2013**.
4. In case the relevant power of attorney is already registered with Corporation Bank or its Share Transfer Agent, the registration number of the power of attorney and the date of such registration may be mentioned.
5. No proxy shall be valid unless it is duly stamped.
6. An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
7. In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
8. The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.
9. No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of CORPORATION BANK.
10. No instrument of proxy shall be valid unless it is in Form "B".

बुक पोस्ट
BOOK POST

अवितरित होने पर कृपया निम्न पते पर लौटाएं:

कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्रा. लिमिटेड

यूनिट: कार्पोरेशन बैंक
प्लाट नं. 17-24
विठ्ठल राव नगर
माधापुर
हैदराबाद - 500 081
टोल फ्री नं. 1-800-3454-001
ई.मेल: einward.ris@karvy.com
निवेशक शिकायत ई-मेल: isd@corpbank.co.in

If undelivered please return to:

KARVY COMPUTERSHARE PVT. LTD.

Unit: Corporation Bank
Plot No. 17-24
Vittal Rao Nagar
Madhapur
Hyderabad – 500 081
Toll free No. 1-800-3454-001
E-mail: einward.ris@karvy.com
Investor Grievances E-mail: isd@corpbank.co.in